राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1119/2010/जयपुर

मै स्वरूप नारायण शिवनारायण
जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता–सप्तम,राज0जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी–विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 23/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 146/अपील्स–IV/2008–09/एफ में पारित आदेश दिनांक 06.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–सप्तम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2008 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति 1,20,780/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.08.2008 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आरजे–2 जी–2186 को बनीपार्क जयपुर पर रोक कर चैक किया। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल, बिल्टी, वैट–47 प्रस्तुत किये। सशक्त अधिकारी द्वारा वैट–47 के पार्ट–बी की जांच में पाया कि पार्ट बी से संबधित इन्द्राज इनवाईस नं./बिल नं., डिस्पेच मीमो नं. डेट ऑफ इनवाइस वैल्यू आफ गुडस, नेम आफ कमोडिटी नॅम्बर आफ पैकेट व मात्रा, कीमत अंकित नहीं थी। सशक्त अधिकारी द्वारा वैट–47 अपूर्ण होने पर 76(2) का उल्लंघन पाये जाने के कारण असल मालिक को पेश करने के निर्देश दिये गये। साथ ही करापवंचन के कारण दिनांक 04.09.2008 को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब को संतोषजनक नहीं मानते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति रूपये 1,20,780/– का आरोपित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने उन्होने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.05.2010 से अपीलार्थी–व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी–व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति न्याय की दृष्टि से अविधिक है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माल के परिवहन के दौरान माल से संबधित बिल,

लगातार.....2

बिल्टी प्रस्तुत कर दिये थे। अपीलार्थी व्यवहारी ने माल खरीद करने से पूर्व प्रेषक को वैट–47 के पार्ट–ए भरकर भिजवा दिया था, परन्तु प्रेषक व्यवहारी की लिपिकीय भूल के कारण उनके स्तर की प्रविष्टियॉ वेट–47 मे भरने से रह गयी, इसमें अपीलार्थी–व्यवहारी की करापंवचन की कोई मंशा नहीं थी। इसके अतिरिक्त सशक्त अधिकारी को जवाब के साथ दूसरा वेट–47 भरकर प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना कमांक एफ.12(15) वित/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 द्वारा वैट–47 व वैट 49 के कारण शास्ति आरोपित नहीं करने के निर्देश होने के बावजूद भी सशक्त अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से शास्ति का आरोपण किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वा.क.अ. चैकपोस्ट, शाहजहांपुर बनाम जे.एल.सी.इलेक्ट्रोमेंन्ट प्रा0लि0 निर्णय दिनांक 29.03.2011 व वा.क.अ. बनाम भीलवाड़ा स्पीनर्स लि0 निर्णय दिनांक 9.11.2010 तथा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पूर्व पारित मै0 अशोका एण्टर प्राईजेज, जयपुर बनाम स.वा.क.अ, उड़नदस्ता अजमेर निर्णय दिनांक 13.03.2015 व मै0 आई.टी.सी.लि0,जयपुर बनाम स.वा.क.अ.उड़नदस्ता–सप्तम, जयपुर निर्णय दिनांक 14.09. 2015 प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ वेट–47 में पार्ट–बी से संबंधित इन्द्राजात इनवॉयस नं0/बिल नं0, डिस्पेज मीमो, दिनांक, कीमत नेम ऑफ कमोडिटी, मात्रा आदि अंकित नहीं थे तथा कीमत, कार्य में लेने की तारीख तथ महीना संबंधित कॉलम भी पंच किये हुए नहीं पाये गये, जो कि आवश्यक तथ्य थे। सशक्त अधिकारी ने इन समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए, शास्ति आरोपित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज के प्रकरण से आच्छादित होने के कारण, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने में विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील अस्वीकार होने योग्य है।

6. फलतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.05.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(खेमराज)
अध्यक्ष